एचएसबी

डीवी सहगल ज. के समक्ष

गणेश शुगर वर्क्स और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - *प्रतिवादी।*

1985 *की सिविल रिट याचिका संख्या* 5483

24 जनवरी 1986.

भारत का संविधान , 1950- *अनुच्छेद* 19(1 *)(जी)- आवश्यक वस्तु अधिनियम,* 1955- *धारा 2(ई)-हरियाणा गन्ना (नियंत्रण) आदेश* 1965- *खंड* 6- *हरियाणा खांडसारी चीनी निर्माता लाइसेंसिंग आदेश,* 1972- *खंड* 3 (1) *और* 3(3)(सी) - *हरियाणा गुड़ विनिर्माण लाइसेंसिंग आदेश,* 1972 - *खंड* 3 - *कई वर्षों के लिए खांडसारी इकाई को दिए गए लाइसेंस - खांडसारी इकाई और साथ ही गुड़ निर्माताओं को बाद में खांडसारी या गुड़ बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया - एकाधिकार गन्ने को कुचलने और विभिन्न चीनी मिलों को*

आरक्षित चीनी का निर्माण करने के लिए - खांडसारी और गुड़ के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया - चाहे वैध हो।

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19 के अर्थ के भीतर किसी प्रतिबंध को उचित मानने के लिए महत्वपूर्ण विचारों में से एक यह है कि यह सार्वजनिक हित में होना चाहिए और बीच में उचित संतुलन बनाकर लगाया जाना चाहिए। अधिकार से वंचित करने और बुराई के खतरे से बचने की कोशिश की गई। यह नहीं कहा जा सकता है कि खांडसारी और गुड़ देश के अधिकांश ग्रामीण और गरीब उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाने वाले मिठास बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, शायद आदत के कारण या इस कारण से कि वे अपने लिए चीनी उपभोग की कीमत वहन नहीं कर सकते हैं। यदि पेराई सत्र के दौरान खांडसारी और गुड़ का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से गरीब आबादी के लिए मिठास बढ़ाने वाले पदार्थों का अकाल पड़ जाएगा।

इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि खांडसारी और गुड़ गरीब उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही आवश्यक वस्तुएं हैं जितनी दूसरों के लिए चीनी। वास्तव में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2 (ई) में दी गई चीनी की परिभाषा में खांडसारी चीनी भी शामिल है, क्योंकि जहां तक गन्ने की आपूर्ति का सवाल है, विभिन्न मीठा करने वाले संबंधित चीजों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना राज्यों का कर्तव्य है। इस प्रकार, हरियाणा खांडसारी चीनी और विनिर्माण लाइसेंसिंग आदेश, 1972 के खंड 3(1) और खंड 3(3)(सी) के आधार पर खांडसारी और गुड़ के निर्माण और ऐसी इकाइयों द्वारा गन्ने की पेराई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा गुड़ और विनिर्माण लाइसेंसिंग आदेश, 1972 का खंड (3) और हरियाणा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1965 का खंड 6, वैध नहीं होने के कारण रद्द किया जा सकता है। (पैरा 31).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट *याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-*

(i) *मामले का संकलित रिकार्ड तलब किया जाए;*

(ii) खांडसारी लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार *करने वाले 18 अक्टूबर* 1985 के *अनुबंध पी/एस के आदेश को रद्द करने वाली* सर्टिओरी *प्रकृति की एक रिट, जहां तक याचिकाकर्ता संख्या* 1 *का संबंध है, और इसके संबंध में जारी किए गए समान आदेशों को भी रद्द कर दिया जाए और समान आदेश जो कि याचिकाकर्ता* 2 *से* 13 के संबंध में दिए गए थे उनको रद्द करने का आदेश *जारी किया जाए;*

(iii) याचिकाकर्ताओं के संबंध में खांडसारी के वर्ष 1985-86 के *लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने वाली* परमादेश *की प्रकृति की एक रिट जारी की जाए;*

(iv) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 *और हरियाणा खांडसारी चीनी निर्माता लाइसेंसिंग आदेश,* 1972 *घोषित किया जाए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम,* 1955 की धारा 3 *के प्रावधान के* दायरे से बाहर है;

(v) लाइसेंसिंग आदेश के *खंड* 3(3)(सी) को *भारत के संविधान के अनुच्छेद* 14 *और* 19(1)(जी) *का*

उल्लंघन मानते हुए रद्द किया जाए;

(vi) *यह रिट के लंबित रहने के दौरान भी किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को खांडसारी इकाइयों को संचालित करने की अनुमति दी जाए;*

(vii) *यह न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य राहत भी दे सकता है;*

(viii) *याचिका की लागत भी अदा की जाएगी;*

(ix) *अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से संबंधित शर्त को कृपया समाप्त किया जाए;*

(x) *प्रतिवादी पर रिट याचिका की अग्रिम प्रतियों की सेवा संबंधी शर्त को समाप्त किया जाए।*

सिविल विविध. 1985 का क्रमांक 3535 .

सिवल नागरिक संहिता की धारा 151 *के तहत* आवेदन *में प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को खांडसारी चीनी के निर्माण के लिए गन्ने को कुचलने की अनुमति दी जाए।*

जीसी गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह, *याचिकाकर्ता के लिए* वकील ।

हीरा लाल सिब्बल, एजी (एच) *प्रतिवादियों की ओर से* जगदेव शर्मा, डीएजी (एच) और निर्मल यादव, एएजी (एच) के साथ।

निर्णय

डीवी *सहगल, ज.*

(1) मैं 1955 की सिविल रिट याचिका संख्या 5587 और 5588 को भी इस फैसले से निपटाने का प्रस्ताव करता हूं क्योंकि इसमें कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

(2) संदर्भ की सुविधा के लिए, 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 5483 में उल्लिखित तथ्यों को यहां निम्नानुसार बताया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1960 से 1980 के दौरान एक लाख रुपये से लेकर रुपये 13 लाख तक का पूंजी निवेश करके हरियाणा राज्य में विभिन्न स्थानों पर खांडसारी इकाइयां स्थापित कीं। उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या 30 से 200 तक है। उन्होंने इस संबंध में एक बयान अनुलग्नक पी-1 में विवरण दिया है। हरियाणा खांडसारी चीनी निर्माता लाइसेंसिंग आदेश, 1972 (इसके बाद इसे 'खांडसारी लाइसेंसिंग' कहा जाएगा) के लागू होने पर आदेश, उन्हें खांडसारी चीनी बनाने का लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंसों का नवीनीकरण साल-दर-साल बिना किसी रोक-टोक के किया जा रहा था। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 13 तक ने खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश के तहत नवीनीकरण शुल्क जमा किया और वर्ष 1985-86 के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से अनुरोध किया हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन को गन्ना आयुक्त, द्वारा खारिज कर दिए गए था । दिनांक 18 अक्टूबर, 1985 के पत्र की एक प्रति, जिसके *तहत* याचिकाकर्ता संख्या 1 के पक्ष में लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया गया था, अनुलग्नक पी 3 है। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से 13 द्वारा नवीनीकरण के लिए किए गए आवेदनों के जवाब में एक जैसे और समान आदेश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता

क्रमांक 14 और 15 को इस बहाने से लाइसेंस शुल्क जमा करने की अनुमति नहीं दी गई कि किसी भी खांडसारी इकाई का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया जाना है। याचिकाकर्ताओं ने रिट-इन प्रकृति की प्रार्थना की है।

जहां तक याचिकाकर्ता नंबर 1 का संबंध है, लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने वाले अनुबंध पी. 3 के आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ताओं संख्या 2 से 13 के संबंध में जारी किए गए समान आदेशों को रद्द करने के लिए भी उन्होंने रिट की मांग की *है*। *परमादेश* में प्रतिवादियों को वर्ष 1985-86 के लिए याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस नवीनीकृत करने का निर्देश दिया गया। एक और प्रार्थना की गई है कि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 (इसके बाद इसे 'कंट्रोल ऑर्डर' कहा जाएगा), और खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश, जिन्हें नियंत्रण आदेश के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करके हरियाणा राज्य द्वारा प्रख्यापित किया गया है, को लागू किया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों और विशेष रूप से खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश के खंड 3(3)(सी) को सविंदान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन मानते हुए खारिज *किया* जाए।

(3) उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान में याचिकाकर्ताओं के दावे का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया है कि याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि उनकी खांड-साड़ी इकाइयां हरियाणा राज्य की चीनी मिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं। चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो सका। ऐसे में, खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश के खंड 3(3)(सी) के तहत शक्ति का प्रयोग करके याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत नियंत्रण आदेश जारी करने से पहले, केंद्र सरकार को एक राय बनाने की आवश्यकता थी कि गन्ने की आपूर्ति बढ़ाना या इसे बनाए रखने के लिए उक्त नियंत्रण आदेश जारी करना आवश्यक या समीचीन था। यह एक पूर्व शर्त थी और यह केवल तभी था जब राय के गठन की उक्त स्थिति संतुष्ट होने के बाद नियामक आदेश जारी करने की शक्ति, वर्तमान मामले में, नियंत्रण आदेश का प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि नियंत्रण आदेश जारी करने से पहले, केंद्र सरकार ने ऐसी कोई राय नहीं बनाई थी और इस तरह यह

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत *था।* इसी कारण से, उन्होंने तर्क दिया कि खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश, जिसे नियंत्रण आदेश के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर हरियाणा राज्य द्वारा प्रख्यापित किया गया है, निरस्त किया जा सकता है।

श्री कुलदीप सिंह का दूसरा तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं की खांडसारी इकाइयों के कामकाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश की सभी खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस का नवीनीकरण न करने का राज्य स्तरीय नीतिगत निर्णय लिया गया।

याचिकाकर्ताओं को उनके खांडसारी निर्माण के व्यवसाय से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की 8 चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह उपाय किया गया है। प्रदेश में कुल 72 खांडसारी इकाइयां हैं। 8 चीनी मिलों को चालू रखने के लिए, याचिकाकर्ताओं सहित 72 खांडसारी इकाइयों को काम करने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। उनके अनुसार, यह याचिकाकर्ताओं के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य में आठ चीनी मिलों द्वारा चीनी विनिर्माण का एकाधिकार बनाने के उद्देश्य से ही उनका व्यवसाय बंद

कर दिया गया है। वे, साथ ही चीनी मिलें, एक ही वर्ग की चीनी बनाती हैं और एक ही श्रेणी में आती हैं। उनके कारोबार को पूरी तरह से बंद करना और चीनी मिलों के पक्ष में एकाधिकार बनाना मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(5) उनका अगला तर्क यह है कि वर्ष 1985-86 के लिए उनके लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। तथ्यों के आधार पर उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हरियाणा राज्य में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की कुल मात्रा 1.37 लाख टन थी। राज्य सरकार के दावे के मुताबिक भी इस साल राज्य में चीनी का उत्पादन 1.50 लाख टन तक जायेगा। इसलिए, चीनी के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई और इस प्रकार उनकी खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने का कोई आधार नहीं था।

(6) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 5587 और 7588 गुड़ निर्माताओं की ओर से दायर किए गए हैं। उनका तर्क यह है कि हरियाणा गुड़ विनिर्माताओं का लाइसेंसिंग आदेश,1972 (जिसे इसके बाद 'गुड़

लाइसेंसिंग आदेश' कहा जाएगा), राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश के तहत उसे सौंपी गई शक्तियों के आधार पर लागू किया गया था। हालाँकि, इसकी घोषणा के बाद से किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ताओं को इसके खंड 3 के तहत लाइसेंस सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। ऊपर दिए गए श्री कुलदीप सिंह के तर्कों को अपनाने के अलावा, गुड़ निर्माताओं (याचिकाकर्ताओं) के विद्वान वकील श्री जीएस संधू ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि गुड़ लाइसेंसिंग आदेश को इसके प्रख्यापन के बाद से स्थगित रखा गया था, लेकिन चालू वर्ष में अचानक उन्हें आदेश दिया गया है कि वे गुड़ या ईले का निर्माण न करें, उन्हें गुड़ लाई सहजता आदेश के उल्लंघन के लिए दंडित किया जाएगा। कोई विशेष जानकारी नहीं, केन कमिश्नर रिसोर्स एवं पोंडेंट नंबर 2 द्वारा पारित आदेश रिट याचिका के साथ संलग्न था। हालाँकि, सुनवाई के समय, याचिकाकर्ताओं में से एक को संबोधित सहायक गन्ना आयुक्त, शाहबाद के नोटिस संख्या 1058 दिनांक 4 नवंबर 1985 की एक प्रति मेरे सामने पेश की गई। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि अन्य गुड़ निर्माता याचिकाकर्ताओं को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए थे।

(7) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित श्री एच एल सिब्बल, विद्वान एडवोकेट-जनरल, ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिवाद किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि *मेसर्स लक्ष्मी खांडसारी आदि* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य आदि आदि मामले* में नियंत्रण आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा वैध और अधिनियम के दायरे में माना गया है। (1) और इसकी वैधता की किसी भी आधार पर दोबारा जांच नहीं की जा सकती, राय बनाने की चाहत के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं ताकि इसे अमान्य कर दिया जा सके। हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि यह उचित राय के गठन के बाद था कि नियंत्रण आदेश पारित किया गया था और चूंकि खांडसारी-गुर लाइसेंसिंग आदेश नियंत्रण द्वारा राज्य को सौंपी गई शक्तियों के आधार पर राज्य द्वारा प्रख्यापित आदेश वही मान्य भी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कुल मिलाकर 72 खांडसारी इकाइयां थीं। उनमें से चौवन राज्य में विभिन्न चीनी मिलों को सौंपे गए क्षेत्रों में स्थित थे, जिनकी संख्या 8 है। अकेले इन 54 खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार कर दिया गया था। शेष 18 खाँड़सारी इकाइयों के लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया गया है। 4 खांडसारी इकाइयों, जिसमें याचिकाकर्ताओं की इकाइयां भी शामिल हैं, के संबंध में लाइसेंस

के नवीनीकरण को केवल वर्ष 1985-85 के लिए अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीनी मिलों के लिए आवश्यक गन्ने की भारी कमी से निपटा जा सके। उन्होंने इस संभावना से इंकार नहीं किया कि आने वाले वर्षों में चीनी मिलों के लिए गन्ने की कमी होने पर याचिकाकर्ताओं और अन्य खांडसारी इकइयों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने तर्क दिया कि चीनी एक आवश्यक वस्तु है, जो उपभोक्ताओं और समाज की बुनियादी जरूरत है। यह एक दुर्लभ वस्तु है। चीनी मिलों को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए कहा गया है ताकि कमी को पूरा करने के लिए अधिक चीनी का उत्पादन किया जा सके। उनके अनुसार, इस आवश्यक वस्तु का उत्पादन करने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में उगाए गए गन्ने को चीनी मिलों में पेराई के लिए भेजा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया है ताकि वे खांडसारी या गुड़ की पेराई और उत्पादन के लिए निर्धारित क्षेत्रों से गन्ना न ले सकें। उनके अनुसार, राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से उचित थी और संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह आवश्यक नहीं था, नवीनीकरण से पहले

याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई भी अवसर दें क्योंकि उनके लाइसेंस अस्वीकार कर दिए गए थे, उनके प्रतिनिधियों को तब सुना गया था जब पहले निर्दिष्ट क्षेत्रों में खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया कि मेसर्स *लक्ष्मी खांडसारी के मामले* (सुप्रा) में सुनवाई के अवसर की कमी के तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

(8) तथ्यों के आधार पर श्री सिब्बल ने श्री कुलदीप सिंह के इस दावे का खंडन किया कि चालू पेराई सत्र के दौरान राज्य में चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1982-83 में राज्य में कार्यरत पांच चीनी मिलों ने 1.82 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। चीनी मिलों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। इन सबके बावजूद चालू पेराई सीजन में चीनी का अनुमानित उत्पादन 1.50 लाख टन ही है। विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक और तर्क यह है कि गुड़ लाइसेंसिंग आदेश अपने प्रचार के बाद से हरियाणा राज्य में बहुत प्रभावी था। केवल इसलिए कि गुड़ लाइसेंसिंग आदेश के उल्लंघन के लिए गुड़ निर्माताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, वे यह तर्क नहीं दे सकते कि इसका संचालन स्थगित रखा गया था और न ही वे यह तर्क

दे सकते हैं कि मौजूदा पेराई सत्र में गुर लाइसेंसिंग आदेश के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का उपयुक्त समय नहीं था।

(9) पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, मैं कानून के विभिन्न हिस्सों-नियंत्रण और लाइसेंसिंग आदेशों पर विस्तार करना उचित समझता हूं।

(10) पंजाब गन्ना (खरीद और आपूर्ति का विनियमन) अधिनियम, 1953 (जिसे इसके बाद 'पंजाब अधिनियम कहा जाएगा), 2 नवंबर, 1953 को चीनी मिलों में उपयोग के लिए आवश्यक गन्ने की खरीद और आपूर्ति को विनियमित करने के उद्देश्य से भूतपूर्व पंजाब राज्य में लागू हुआ। एक गन्ना नियंत्रण बोर्ड (इसके बाद इसे 'बोर्ड' कहा जाएगा) का गठन किया गया और पंजाब अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एक गन्ना आयुक्त नियुक्त किया गया। चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, *अन्य बातों के अलावा, यह* प्रावधान किया गया था कि गन्ना आयुक्त चीनी मिल के अधिभोगी को एक निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले खरीदे जाने वाले गन्ने की मात्रा का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। किसी विशेष कारण के दौरान उसकी मिल। राज्य में उस क्षेत्र का सर्वेक्षण जहां गन्ना उगाया जाता है, गन्ना आयोग

द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में उत्पादित अनुमानित गन्ने की मात्रा का पता लगाया जा सके और विशेष क्षेत्र को चीनी मिल के अधिष्ठाता द्वारा गन्ने की खरीद के लिए सौंपा

जाना है। गन्ने की खरीद और आपूर्ति के लिए पंजाब अधिनियम में कई अन्य प्रावधान भी शामिल हैं, जिनका संदर्भ वर्तमान विवाद पर निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को 1 अप्रैल, 1955 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम का उद्देश्य आम जनता के हित में उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार पर नियंत्रण प्रदान करना था। वाणिज्य, कुछ वस्तुओं में, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत "आवश्यक वस्तुएं" घोषित किया जाना था। अधिनियम की धारा 2(बी) गन्ने की फसलों को शामिल करने के लिए "खाद्य-फसलों" को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 2(ई) में "चीनी" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> “2(ई): 'चीनी' का अर्थ है-
>
> (i) किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें नब्बे प्रतिशत से अधिक सुक्रोज हो, जिसमें मिश्री भी शामिल है;
>
> (ii) खांडसारी चीनी या बूरा या कुचली हुई चीनी या क्रिस्टलीय या पाउडर के रूप में कोई भी चीनी;
>
> (iii) वैक्यूम पैन चीनी कारखाने में प्रक्रिया में चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी।

(12) इस प्रकार, खांडसारी चीनी और वैक्यूम पैन चीनी कारखानों द्वारा निर्मित चीनी अधिनियम के अर्थ में 'चीनी' है। अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। भारत की रक्षा या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन के लिए किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जा सकता है। उक्त धारा की उप-धारा (2)(ए) और (सी) में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके तहत बनाया गया एक आदेश लाइसेंस द्वारा विनियमित करने का प्रावधान कर सकता है। किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या निर्माण की अनुमति देता है या अन्यथा; और उस कीमत को नियंत्रित करने के लिए जिस पर कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जाती है। अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा; निर्देशित करें कि बनाने की शक्ति धारा 3 के तहत आदेश या अधिसूचना जारी करना, ऐसे मामलों

के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, *ऐसे* राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी या अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। एक राज्य सरकार, जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि धारा 3 के तहत दिया गया कोई भी आदेश अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम या अधिनियम के अलावा किसी भी अधिनियम के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी साधन में निहित असंगत कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होगा।

(13) अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 16 जुलाई, 1966 को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 (इसके बाद इसे 'नियंत्रण आदेश' कहा जाएगा) प्रख्यापित किया। यह देखा जा सकता है कि चीनी मिलों में पेराई के लिए गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में नियंत्रण आदेश में शामिल कुछ प्रावधान पंजाब अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप हैं, हालांकि नियंत्रण आदेश के प्रावधान बहुत अधिक हैं अधिक प्रभावी एवं प्रभावोत्पादक। इसका खंड 2(जे) 'आरक्षित क्षेत्र' को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कोई भी क्षेत्र जहां गन्ना उगाया जाता है और

नियंत्रण आदेश के खंड 6 के उप-खंड (1)(ए) के तहत एक कारखाने के लिए आरक्षित है। इस प्रकार, नियंत्रण आदेश में 'आरक्षित क्षेत्र' और पंजाब अधिनियम में 'निर्दिष्ट क्षेत्र' एक ही उद्देश्य के लिए क्षेत्र को परिभाषित करते हैं । नियंत्रण आदेश का खंड 6, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, किसी भी क्षेत्र को, जहां गन्ना उगाया जाता है, कारखाने की पेराई क्षमता, उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी कारखाने के लिए आरक्षित कर सकती है। आरक्षित क्षेत्र में गन्ना और चीनी के उत्पादन की आवश्यकता, कारखाने को उसके द्वारा आवश्यक मात्रा में गन्ना खरीदने में सक्षम बनाने की दृष्टि से; किसी कारखाने को किसी वर्ष के दौरान पेराई के लिए आवश्यक गन्ने की मात्रा निर्धारित करना; आम तौर पर आरक्षित क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट उत्पादक या गन्ना उत्पादकों के संबंध में, ऐसे उत्पादकों या उत्पादकों द्वारा उगाए गए गन्ने की मात्रा या प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, तय करें, जो कि प्रत्येक ऐसे उत्पादक द्वारा स्वयं या यदि वह इसका सदस्य है, आरक्षित क्षेत्र में कार्यरत गन्ना उत्पादकों की एक सहकारी समिति, ऐसी समिति के माध्यम से, संबंधित कारखाने को आपूर्ति करेगी; किसी कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करने वाले

गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और संबंधित कारखाने को एक समझौते में प्रवेश करने का निर्देश दें। जैसा भी मामला हो, पैरा ग्राफ (इ) के तहत निर्धारित गन्ने की मात्रा की आपूर्ति या खरीद करने के लिए। नियंत्रण आदेश के खंड 6 (ई) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि कोई गुड़ (गुड़) या खांडसारी चीनी या चीनी नहीं उत्पाद की जाएगी।

इस संबंध में जारी लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के तहत और उनके अनुसार गन्ने से निर्मित। खंड 7 केंद्र सरकार को बिजली क्रशरों, खांडसारी इकाइयों, क्रशरों को लाइसेंस देने और गन्ने की खरीद को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। उसके उप-खंड (बी) में *अन्य बातों* के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

> "केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि आरक्षित क्षेत्र में-
>
> (i) किसी भी कुचल डालने वाले द्वारा पेराई हेतु गन्ना नहीं खरीदा जायेगा;
>
> (ii) कोई भी गन्ना या गन्ने का रस पेराई के लिए या गुड़, शक्कर, गुल, गुड़, राब या खांडसारी चीनी के निर्माण के लिए, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसे कोल्हू द्वारा नहीं खरीदा जाएगा जो गन्ना उत्पादक या उत्पादकों के निकाय से संबंधित न हो। क्षेत्र में एक खांडसारी इकाई; उस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परमिट के तहत और उसके अनुसार छोड़कर।

(14) खंड 11, *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार , आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

निर्देश दे सकती है कि इस आदेश द्वारा उसे प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियां, ऐसे प्रतिबंधों, अपवादों और शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन होंगी। जैसा कि निर्देश में निर्दिष्ट किया जा सकता है , राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें आगे प्रावधान है कि जहां इस आदेश द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त सभी या कोई शक्तियां राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी को सौंपी गई हैं, उस शक्ति के प्रयोग में ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश या निर्देश में संशोधन, परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया, जिसके अधिकारी या प्राधिकारी अधीनस्थ हैं, या तो *स्वत: संज्ञान से* या आदेश या निर्देश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किए गए आवेदन पर। खंड 11(2) में इस आशय का एक प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को जारी किए गए लाइसेंस या परमिट को रद्द करने का कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(15) खाद्य विभाग अधिसूचना, दिनांक 16 जुलाई,1966 के साथ पठित नियंत्रण आदेश के खंड 6(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने

हरियाणा खांडसारी चीनी निर्मित लाइसेंसिंग आदेश, 1972 बनाया जिसे 4 दिसंबर, 1972 को अधिसूचित किया गया था। खंड 3(1) और 3(सी), *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान करते हैं कि कोई भी निर्माता (खांडसारी चीनी का) लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं करेगा; पावर क्रशर, बेल या सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से खांडसारी चीनी के निर्माण से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को चलाना या उसके अधीन काम करना। लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन को लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और उस मामले को छोड़कर खारिज नहीं किया जाएगा जहां प्राधिकरण की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। *वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री को गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की* दृष्टि से जनहित में ।

(16) इसी तर्ज पर, हरियाणा गुड़ मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, 1972 को 4 दिसंबर, 1972 को अधिसूचित किया गया था। क्लॉज 3 में प्रावधान है कि कोई भी निर्माता निर्धारित फॉर्म में लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त किए बिना इससे जुड़ी कोई भी प्रक्रिया नहीं करेगा या शुरू नहीं करेगा। पावर क्रशर के माध्यम से गुड़ का निर्माण। उप-खंड (8) में *अन्य*

बातों के साथ-साथ कहा गया है कि किसी लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन को उस मामले को छोड़कर खारिज नहीं किया जाएगा, जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। जनहित में *गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टी6 वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री* । . *40टी*

(17) अब, मैं विद्वान वकील की दलीलों पर आता हूं। मेरे सामने यह विवादित नहीं था कि नियंत्रण आदेश की वैधता और संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स में बरकरार रखा था। *लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा), विभिन्न कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं की विस्तृत चर्चा के बाद। इसलिए, मैं तर्क से जुड़े किसी भी विवाद पर विचार नहीं कर सकता, जिसका उद्देश्य मुझे उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने और यह मानने के लिए प्रेरित करना है कि नियंत्रण आदेश असंवैधानिक है । मैं उस सुनहरे नियम से निर्देशित होना पसंद करूंगा जिसे लॉर्ड डेनिंग एमआर ने *हार्पर* बनाम *नेशनल कोल बोर्ड* (2) में निम्नलिखित शब्दों में बताया था:

> "एक बात स्पष्ट है। हम केवल उस तर्क को स्वीकार कर सकते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वास्तविक निर्णय

का समर्थन करता है, किसी भी संभावना से हम किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो निर्णय को गलत साबित करेगा। दूसरा प्रस्ताव वह यह है कि, यदि हम उस तर्क का पता लगा सकें जिस पर बहुमत ने अपना निर्णय आधारित किया है, तो हमें इसे अपने लिए बाध्यकारी मान लेना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव यह है कि, यदि हम उस तर्क का पता लगा सकें जिसके आधार पर अल्पसंख्यक अपना निर्णय लेते हैं, तो हमें इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। यह गलत होना चाहिए क्योंकि यह उन्हें गलत नतीजे पर ले गया। चौथा प्रस्ताव यह है कि यदि हम उस तर्क की खोज नहीं कर पाते हैं जिस पर बहुमत ने अपना निर्णय आधारित किया है तो हम उससे बंधे नहीं हैं। हम कोई भी तर्क अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं जो हमें सही लगता है, जब तक कि वह सदन के वास्तविक निर्णय का समर्थन करता हो।"

(18) इसलिए, नियंत्रण आदेश की वैधता और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसी कारण से, खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश और गुड़

लाइसेंसिंग आदेश, जो नियंत्रण आदेश द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों से उत्पन्न होते हैं और उसके प्रावधानों के अनुरूप हैं, पर उनके हमले को भी निरस्त करना होगा।

(19) परिणामस्वरुप देखने वाली बात यह है कि क्या वर्ष 1985-86 के पूरे पेराई सत्र के लिए याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने वाले गन्ना आयुक्त के आदेश अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन हैं। संविधान के अनुसार, या मनमाने ढंग से और *दुर्भावनापूर्ण* हैं और इसका उद्देश्य चीनी मिलों के पक्ष में गन्ने की पेराई के लिए एकाधिकार बनाना है, जिससे याचिकाकर्ताओं को खांडसारी और गुड़ के निर्माण के उनके व्यवसाय से वंचित किया जा सके, जो वे कई वर्षों से कर रहे थे।

(20) विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने प्रतिवादियों की विवादित कार्रवाई पर हमले को रोकने की दृष्टि से एक बार फिर मैसर्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अपने आधिपत्य के फैसले पर भरोसा किया है/ *लक्ष्मी खांडसारी का* मामला (सुप्रा)। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस मामले में भी इसी तरह का तर्क दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि उसमें लगाए गए आदेश ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर उनके व्यापार को जारी

रखने के अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाए थे। अर्थात्, खांड-साड़ी का उत्पादन। इसी तर्क को आगे बढ़ाने के लिए एक सहायक तर्क यह भी उठाया गया कि विवादित अधिसूचना का उद्देश्य याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाले क्रशरों की कीमत पर चीनी मिलों के पक्ष में एक मोनो प्लाई बनाना है और इसलिए, न केवल अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 14 का भी। वर्तमान मामले की तरह, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अतिरिक्त तर्क उठाया गया कि याचिकाकर्ताओं के क्रशरों को काम करने से रोकने से पहले लगाए गए अधिसूचना में निहित निषेध और इसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है और राज्य ने एक खंड और दूसरे के बीच शत्रुतापूर्ण भेदभाव के लिए याचिकाकर्ताओं का चयन किया था। गुड़, खांडसारी और चीनी के निर्माताओं के बीच उचित संतुलन बनाए बिना गन्ने की खरीद, उसकी बिक्री और चीनी के उत्पादन में लगे व्यक्तियों में से एक। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया था और उसका स्पष्ट विचार था कि उसके समक्ष दिया गया आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 14 का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि न ही यह संविधान के कार्यान्वयन पर अनुचित प्रतिबंध के बराबर था। याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यवसाय और न

ही विवादित अधिसूचना का उद्देश्य चीनी मिलों के पक्ष में एकाधिकार बनाना था। हालाँकि इस मामले में आक्षेपित अधिसूचना ने 9 अक्टूबर 1980 से 1 दिसंबर 1980 तक केवल 1.5 महीने की छोटी अवधि के लिए पावर क्रशरों पर प्रतिबंध को सीमित कर दिया था, यह देखा गया कि प्रतिबंध आंशिक, पूर्ण, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं लेकिन उन्हें सहन करना होगा जिस वस्तु के हित में उन्हें लगाया जाता है, उसके साथ घनिष्ठ संबंध। *मद्रास राज्य* बनाम वीजी *पंक्ति (3)* पर भरोसा रखा गया था, जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उचित रूप से इस सवाल पर *लोकस क्लासिकस* के रूप में माना था कि उचित प्रतिबंध क्या हैं, जहां पतंजलि शास्त्री, सीजे ने कोर्ट के लिए बोलते हुए इस प्रकार कहा था:

> "इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तर्कसंगतता का परीक्षण, जहां भी निर्धारित हो, प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर लागू किया जाना चाहिए, और सभी मामलों पर लागू होने वाला कोई अमूर्त मानक, या तर्कसंगतता का सामान्य पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जिस अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया है उसकी प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, मांगी गई बुराई की

सीमा और तात्कालिकता आदि का समाधान किया जाना चाहिए, उस समय मौजूदा स्थितियों को लागू करने की असंगति को न्यायिक फैसले में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे मायावी कारकों का मूल्यांकन करने और किसी दिए गए मामले की सभी परिस्थितियों में जो उचित है उसकी अपनी अवधारणा बनाने में, यह अपरिहार्य है कि निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के सामाजिक दर्शन और मूल्यों के पैमाने को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, और ऐसे मामलों में विधायी निर्णय में उनके हस्तक्षेप की सीमा केवल उनकी जिम्मेदारी की भावना और आत्म-संयम से तय की जा सकती है और गंभीर चिंतन कि संविधान केवल उनके सोचने के तरीके के लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है, और लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत ने प्रतिबंधों को लागू करने को अधिकृत करते समय उन्हें उचित माना है।

(3) एआईआर 1952 एससी 196।

(21) इस प्रतिबंध को इसलिए समायोजित किया गया क्योंकि इसे मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देकर चीनी के अकाल से राहत पाने के लिए लगाया गया था। *राजस्थान राज्य* बनाम *नाथ माई (4)* पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने की दृष्टि से खाद्यान्नों के स्टॉक को फ्रीज करना भी एक उचित प्रतिबंध था। भले ही खाद्य भंडार को जब्त करने से किसी नागरिक का खाद्यान्न व्यापार करने का अधिकार गंभीर रूप से क्षीण और बाधित हो गया हो, फिर भी राज्य की ऐसी कार्रवाई सार्वजनिक हित के आधार पर उचित थी। *प्राग आइस* एंड *ऑयल मिल्स* बनाम *यूनियन ऑफ इंडिया (5)* पर भी भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि विवादित नियंत्रण आदेश की वैधता के सभी परीक्षण अधिनियम की धारा 3 में पाए जाने हैं जो समीचीनता की आवश्यकता बनाता है किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्य पर इसके न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियंत्रण आदेश की वैधता के मानदंड। यह उपभोक्ता का हित है न कि निर्माता का जो किसी विशेष समय पर किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण को लागू करने में निर्धारण कारक है। विद्वान महाधिवक्ता ने मेरे संज्ञान में लाया कि

याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेश पारित होने के बाद, गन्ना नियंत्रण बोर्ड ने 1 जनवरी, 1986 को आयोजित एक बैठक में स्थिति की समीक्षा की। चूंकि चीनी मिलों के लिए गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता का उद्देश्य अभी तक हासिल नहीं हुआ था, इसलिए विवादित आदेशों को लागू रखने का निर्णय लिया गया। उक्त बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 1986 के अंत तक एक बार फिर स्थिति की समीक्षा करने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से बोर्ड की बैठक में सुना गया था। इसलिए, उन्हें वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इस न्यायालय में नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मेरा ध्यान *प्राग आइस* एंड *ऑयल मिल्स मामले (सुप्रा)* में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया, जिन्हें मैसर्स में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। *लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा):-

> "समापन करने से पहले, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता मूल्य नियंत्रण आदेश के तुरंत बाद इस न्यायालय में पहुंचे। जिससे उन्होंने स्वयं को वंचित कर लिया यह दिखाने का अवसर कि वास्तव

में, यह आदेश उनके लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह का कारण बनता है। इसके बजाय उन्हें अपनी शिकायत को पुष्ट करने के लिए सट्टा परिकल्पनाओं पर भरोसा करने के लिए अपनी गलत सोच के कारण प्रेरित किया गया कि उनकी संपत्ति का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार खत्म हो गया है या काफी हद तक प्रभावित हुआ है। थोड़ा और धैर्य, जिसका उपयोग यह देखने के लिए किया जा सकता था कि प्रयोग कैसे काम करता है, बेहतर लाभांश दे सकता था।"

(4) एआईआर 1954 एससी 307।

(5) एआईआर 1978 एससी 1296।

मैसर्स में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य की *लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा) में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया:

"अटॉर्नी जनरल द्वारा दिया गया एक और महत्वपूर्ण तर्क, जिसने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है हाइड्रोलिक प्रक्रिया के मिलों द्वारा उपयोग के परिणामस्वरूप, जो चीनी के उत्पादन के लिए खांडसारी इकाइयों द्वारा नियोजित खुली पैन प्रक्रिया से अलग है।

परिणाम यह है कि पावर क्रशरों द्वारा संचालित खांडसारी इकाइयों के मामले में गन्ने से चीनी की रिकवरी 4 से 6 प्रतिशत के बीच होती है, जबकि चीनी कारखानों के मामले में यह 9.5 से 11 प्रतिशत के बीच होती है। इस प्रकार, समग्र स्थिति यह है कि मिलों द्वारा गन्ने का उपयोग क्रशरों की तुलना में दोगुना है और यदि क्रशर मौजूदा 4 से 6 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें आपूर्ति की जाने वाली गन्ने की कुल मात्रा का आधा हिस्सा मिलों द्वारा दिया जाता है। बेकार चला जाता है, जिसका उपयोग यदि कारखानों द्वारा किया जाता, तो अधिक चीनी के उत्पादन के लिए काम आता।

(22) इस प्रकार, उन्होंने दावा किया कि चीनी मिलों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा गन्ने को कुचलने से उत्पादित खांडसारी या गुड़ की मात्रा की तुलना में मिलों में कुचले गए गन्ने से लगभग दोगुनी चीनी निकाली। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार माना था कि चीनी मिलों और खांड-सारी या गुड़ का उत्पादन करने वाले क्रशरों द्वारा अपनाई जाने वाली निर्माण की दो प्रक्रियाओं के बीच एक ठोस अंतर है, जो एक बहुत ही तर्कसंगत अंतर है और चीनी मिलों को एक अलग श्रेणी में

रखता है। वर्ग और क्रशरों पर लगाए गए प्रतिबंधों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक उचित संबंध भी प्रदान करता है।

(23) याचिकाकर्ताओं की दलील है कि नवीनीकरण से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

चालू वर्ष के लिए लाइसेंस अस्वीकार कर दिया गया था, विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस पहलू की जांच मैसर्स में भी की गई थी। *लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा) और यह माना गया कि विवादित आदेश वास्तव में एक आपातकालीन स्थिति को कवर करने के लिए पारित किया गया था ताकि एक आवश्यक वस्तु की उपलब्धता या वितरण से जुड़े राष्ट्रीय संकट को पूरा किया जा सके, जिससे व्यवसाय को प्रतिबंधित या नियंत्रित करना आवश्यक हो गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा जारी रखा गया। चीनी की भारी कमी थी जो उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी और इस स्थिति के कारण लोगों में गंभीर असंतोष था। इस संकट को हल करने के लिए उठाए गए तत्काल और आकस्मिक उपायों से कम कुछ भी स्थिति को आसान नहीं बना सकता था। यदि पावर क्रशर के इतने सारे मालिकों को सुनवाई दी जाती तो इससे न केवल

लागू अधिसूचना बल्कि अधिनियम का उद्देश्य भी पूरी तरह से विफल हो जाता और जटिलताएं पैदा हो जातीं, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही गंभीर स्थिति और भी खराब हो सकती थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मौजूदा किराया वर्ष के लिए याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने का नीतिगत निर्णय लेने से पहले, उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और वे 15 नवंबर , 1985 को आयोजित बोर्ड की बैठक में उपस्थित थे।

(24) *मैसर्स लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को प्रतिष्ठित कर उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस के नवीनीकरण को वर्ष 1985-86 के पूरे पेराई सत्र के लिए अस्वीकार कर दिया गया है, इस प्रकार, उन्हें *मेसर्स लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा) *पर लगाए गए प्रतिबंध से व्यवसाय से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, जो* केवल 1 महीने की सीमित अवधि के लिए था। इसके अलावा, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया आदेश देश के सामने आए गंभीर चीनी अकाल से निपटने के लिए पारित किया गया था। ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी और न ही वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं द्वारा ऐसी कोई याचिका उठाई गई है। वास्तव

में, जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है वह मिलों को अधिक गन्ना उपलब्ध कराना है। ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि यदि गन्ना आयुक्त और बोर्ड ने समय रहते चीनी मिलों द्वारा गन्ने की मांग पर विचार किया होता और समय पर सर्वेक्षण किया जाता, तो विभिन्न चीनी मिलों के लिए आरक्षित/आवंटित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र गन्ने की फसल के अधीन होता। इस प्रकार सौंपा या आरक्षित किया जा सकता था और याचिकाकर्ताओं के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाकर जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, उसे पंजाब अधिनियम के प्रावधानों और खंड 6 का सहारा लेकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता था।

नियंत्रण आदेश. मुख्य रूप से *मैसर्स लक्ष्मी खांडसारी के मामले (सुपेरा)* पर अपने तर्क के आधार पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि व्यापार पर प्रतिबंध सार्वजनिक हित में होना चाहिए और अधिकार से वंचित होने और खतरे या बुराई के बीच उचित संतुलन बनाकर लगाया जाना चाहिए, कोई सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि नागरिकों के अधिकारों को प्रतिबंधित करके जो वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जाना है वह पूरा हो जाए। उन्होंने तर्क दिया कि जैसा कि वी.जी. *रो के मामले (सुप्रा)* में कहा गया है , व्यापार या व्यवसाय पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि प्रतिबंध अत्यधिक या मनमाना नहीं होना चाहिए और न्यायालय को इसके प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव की जांच करनी चाहिए। नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध और यह निर्धारित करना कि क्या प्रतिबंध व्यापक सार्वजनिक हित में हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हरियाणा राज्य के ग्रामीण इलाकों में भारी आबादी गुड़ और खांड-साड़ी का उपभोग करती है, न कि चीनी की, जो महंगी है और गरीब ग्रामीण आबादी इसे वहन नहीं कर सकती है। आक्षेपित आदेशों के माध्यम से चालू वर्ष के लिए गुड़ और

खांडसारी के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से ग्रामीण आबादी की खपत के लिए एक आवश्यक वस्तु दुर्लभ हो जाएगी। इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसे अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्राप्त किया जाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि *मेसर्स लक्ष्मी खांडसारी का मामला* (सुप्रा) में लागू अधिसूचना के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने में सुप्रीम कोर्ट को जिन कारकों पर आपत्ति थी उनमें से एक यह था कि खांडसारी इकाइयों के कामकाज पर प्रतिबंध 1985-86 के पूरे पेराई सत्र के अस्थायी अवधि के लिए था वर्तमान मामले में केवल एक महीने के लिए है।

विद्वान वकील के उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार-विमर्श करते समय, मैंने उस रिकॉर्ड की भी जांच की जो गन्ना आयुक्त द्वारा मेरे सामने पेश किया गया था, जो मामले पर बहस के दौरान दो दिनों तक अदालत में मौजूद थे। सबसे पहले कुछ विज्ञापन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह हरियाणा राज्य में गन्ने की फसल के तहत कुल क्षेत्रफल का केवल 60 प्रतिशत है जो पंजाब अधिनियम और नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का सहारा लेकर राज्य में विभिन्न चीनी मिलों के लिए आरक्षित/ सौंपा गया है। इस प्रकार गन्ने की फसल का

शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र चीनी मिलों में गन्ने की खपत सुनिश्चित नहीं करता है। प्रदेश में कुल 72 खांडसारी इकाइयां हैं। उनमें से, 54 इकाइयाँ आरक्षित/निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हैं और, 18 इकाइयाँ अनिर्धारित/अनारक्षित क्षेत्र में हैं। राज्य की सभी खांडसारी इकाइयां एक पेराई सत्र में कुल गन्ना उत्पादन का 5 से 10 प्रतिशत उपभोग करती हैं। राज्य में पचास से साठ प्रतिशत गन्ने की खपत गुड़, शक्कर, रब आदि के उत्पादन में होती है आदि। इसमें घरेलू खपत के लिए या अन्यथा गुड़ आदि के निर्माण के लिए गन्ना शक्तियों द्वारा की गई खपत शामिल है। पहले प्रदेश में 5 चीनी मिलें स्थापित थीं। हाल ही में तीन और चीनी मिलें स्थापित की गई हैं और अब राज्य में कुल 8 चीनी मिलें चालू हैं।

(25) अभिलेखों के अवलोकन से जो स्थिति सामने आई वह इस प्रकार है-

भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) का पत्र संख्या 4-7/84-स्पाई (डी. II), दिनांक 14 सितंबर 1984, सभी सरकारों के सचिवों को संबोधित किया गया था। चीनी उत्पादक राज्यों को चीनी मिलों से गन्ने के निर्यात को रोकने के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। इस पत्र में बताया गया कि चीनी उत्पादन पिछले वर्ष के 82.32 लाख टन से तीव्र गिरावट दर्ज कर 1983-84 में लगभग 59 लाख टन रह गया। हालाँकि कमी मुख्य रूप से प्राकृतिक कारकों, जैसे सूखा, आदि के कारण थी , कारखाने के क्षेत्रों से गुड़, खांडसारी, आदि जैसे अन्य मिठास पैदा करने वाले एजेंटों के निर्माताओं के लिए गन्ने के कुछ मोड़ की भी सूचना मिली थी। परिणामस्वरूप , उपलब्ध कदमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना था कि चीनी का उत्पादन आवश्यकता से पीछे न रहे। *जहां तक गन्ने की आपूर्ति का सवाल है, विभिन्न मिठास बढ़ाने वाले एजेंटों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना होगा। अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित उपाय, जो अतीत में राज्य सरकारों को सुझाए गए थे, को भी अतिरिक्त जोश के साथ लागू करने की आवश्यकता थी: -

(i) किसी भी उपयोगकर्ता की कठिनाई को कम करने की दृष्टि से मीठा करने वाले एजेंटों के निर्माताओं के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचना, लेकिन साथ ही चीनी कारखानों को गन्ने की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना;

(ii) प्रत्येक वैक्यूम पैन चीनी कारखाने के लिए आरक्षित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करने के लिए, इसके आकार और गन्ना आवश्यकताओं-सह-पेराई क्षमता को ध्यान में रखते हुए, और चीनी कारखाने के क्षेत्र में पहले से ही लाइसेंस प्राप्त और कार्यरत खांडसारी इकाइयों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए। इसे आवश्यक रूप से 16 किलोमीटर के किसी एकसमान दायरे तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अतीत में प्रथा रही है;

(iii)..

(iv)..

(v) चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों में खांडसारी इकाइयों को नए लाइसेंस न देना, और जहां तक संभव हो,

आरक्षित क्षेत्रों में मौजूदा खांडसारी इकाइयों को *किसी भी* संभव तरीके से बाहर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(26) इस पत्र के अनुसरण में बोर्ड ने क्या कदम उठाए। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों के भीतर सभी खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस वर्ष 1984-85 के पेराई सत्र के लिए नवीनीकृत किए गए थे। इसके अलावा, गुड़ निर्माताओं को गुड़ लाइसेंसिंग ऑर्डर के खंड 3 के तहत लाइसेंस सुरक्षित करने की आवश्यकता के लिए या फिर उन्हें गुड़ के निर्माण से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 1985-86 में पेराई सत्र शुरू होने से पहले, भारत सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने एक और पत्र संख्या 4-11/85-एसपीवाई (डी. II), दिनांक 4 सितंबर, 1985 जारी किया। गन्ना, हरियाणा, पंजाब और बिहार से संबंधित विभागों के सचिवों को संबोधित करते हुए आगामी सीजन में चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए गुड़ और खांडसारी के निर्माण के लिए गन्ने के डायवर्जन की जांच की गई। 14 सितंबर 1984 के पत्र में सुझाए गए उपाय। इसके अलावा, यह

सुझाव दिया गया था कि एक अतिरिक्त उपाय जिसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त माना जा सकता है, उदाहरण के लिए, *खांडसारी/ पावर क्रशर द्वारा पेराई कार्य देर से शुरू करना आदि।* भी विचार किया जाना चाहिए।

(27) 15 नवंबर, 1985 को हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। राज्य में गन्ना उत्पादक क्षेत्र 15 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक के दायरे में हैं। त्रिज्या राज्य में संबंधित 8 चीनी मिलों को सौंपी गई थी। 1985-86 सीज़न के दौरान पेराई शुरू करने के लिए संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित तारीखें दी गई थीं:

(1)यमनानगर	26 नवंबर.		198
(2) शाहाबाद	...	18 नवंबर.	198
'(3)सोनीपत	...	18 नवंबर,	198
(4)करनाल	...	27 नवंबर.	198
(5)पानीपत	...	21 नवंबर,	198
(6)रोहतक	...	19 नवंबर.	198

(7) पलवल

(8) जींद

21 नवंबर 1985.

24 नवंबर, 1985.

(28) बोर्ड के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि मिलें अधिकतम समय तक काम करें और उन्हें पेराई शीघ्र शुरू करने और किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। बोर्ड ने "राज्य में वैक्यूम पैन शुगर विल्स के लिए गन्ने की बहुत कम उपलब्धता" के मद्देनजर सार्वजनिक हित में चीनी मिलों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के लिए गन्ना आयुक्त की कार्रवाई को भी मंजूरी दे दी। हालाँकि, बोर्ड की यह इच्छा थी कि निर्धारित क्षेत्रों के बाहर काम करने वाली सभी खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस तुरंत जारी/ नवीनीकृत किए जाएं। गौरतलब है कि कार्यवाही के मुताबिक बोर्ड की उस बैठक में खांड साड़ी और गुड़ निर्माताओं के दो-दो प्रतिनिधि मौजूद थे। बोर्ड के इस निर्णय के क्रम में गन्ना आयुक्त ने मेमो जारी किया। क्रमांक 6301-6319/सीसी, दिनांक 25 नवंबर, 1985, राज्य के सभी उपकृषि निदेशकों, परियोजना अधिकारियों

(गन्ना) और राज्य के सभी सहायक गन्ना विकास अधिकारियों को संबोधित है और उनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि गुड़ लाइसेंसिंग आदेश के खंड 3 का उल्लंघन करते हुए गुड़ के निर्माण के लिए बिना लाइसेंस वाले पावर-क्रेशरों को उनके संबंधित जिलों में काम करने की अनुमति दी गई थी। इस पत्र की सामग्री में आंशिक संशोधन गन्ना आयुक्त द्वारा जारी मेमो नंबर 6538-57/सीसी, दिनांक 5 दिसंबर, 1985 के माध्यम से किया गया था। यह इन संचारों का परिणाम है कि गुड़ निर्माताओं को गुड़ लाइसेंसिंग आदेश के खंड 3 के उल्लंघन में पावर क्रशर द्वारा गुड़ के निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, 4 नवंबर, 1985 के *नोटिस* के माध्यम से। फिर से, यह पूर्वोक्त के अनुसरण में था बोट का निर्णय कि याचिकाकर्ताओं की खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस वर्ष 1985-86 के पेराई सत्र के लिए नवीनीकृत नहीं किए गए, जिसने उन्हें वर्तमान रिट याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर किया। बोर्ड की एक और बैठक 1 जनवरी, 1986 को हुई। इस बैठक की कार्यवाही से पता चलता है कि, यमुनानगर चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा आवाज उठाई गई थी कि मिलों को अप्रतिबंधित उठान की अनुमति देकर गन्ने की भूख से मरने

की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खांडसारी और गुड़ इकाइयों द्वारा गन्ना। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मिल 15 अप्रैल, 1986 तक निर्धारित क्षेत्र का पूरा गन्ना उठा लेगी। आगे की कार्यवाही इस प्रकार दर्ज है:-

> "विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से अपनी राय व्यक्त की कि यदि इस स्तर पर खांडसारी इकाइयों पर लगाए गए प्रतिबंध और हरियाणा गुड़ निर्माता लाइसेंसिंग आदेश, 1972 का कार्यान्वयन किया जाएगा। यदि इसे वापस ले लिया गया, तो इन मिलों को गन्ने की उपलब्धता अंततः पिछले वर्ष की उपलब्धियों से भी कम हो जाएगी। इससे राज्य में सफेद चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सार्वजनिक हित में और वैक्यूम पैन चीनी उद्योग को गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लगाए गए प्रतिबंधों में ढील नहीं दी जानी चाहिए। खांडसारी एवं गुड़ इकाइयों के दृष्टिकोण पर भी विस्तार से विचार किया गया। विभिन्न पक्ष-विपक्ष पर विस्तृत चर्चा के

बाद, यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे और वैक्यूम पैरी चीनी उद्योग को गन्ने की उपलब्धता के संबंध में जनवरी, 1986 के अंतिम सप्ताह में फिर से समीक्षा की जाएगी। उस समय यह भी तय किया जाएगा कि लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लिया जाना चाहिए या नहीं।"

(29) खांड- साड़ी और गुड़ निर्माताओं पर प्रतिबंध जारी रहने या वापस लेने की स्थिति में वर्ष 1985-86 के लिए गन्ना आवंटित, गन्ना बंधुआ, कुचला हुआ गन्ना और गन्ने की अनुमानित उपलब्धता के बारे में मिल-वार जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण बोर्ड की कार्यवाही अनुबंध 'ए' के रूप में इनके साथ संलग्न है। मामला इस स्तर पर इसी तरह खड़ा है।

(30) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दिनांक 14 सितंबर, 1984 के पत्र के अनुसार विभिन्न मीठा करने वाले एजेंटों, यानी चीनी, खांडसारी, गुड़, आदि के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। गन्ना आपूर्ति का संबंध था। यह भी सुझाव दिया गया कि आरक्षित क्षेत्रों में मौजूदा खांडसारी इकाइयों को अनारक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन वर्ष 1984-85 में खांड-साड़ी और गुड़ निर्माताओं के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, न ही खांडसारी इकाइयों को चीनी मिलों के लिए निर्धारित/ आरक्षित क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित करने के लिए मनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया था। यह केवल इसी वर्ष है जब भारत सरकार ने चीनी उत्पादन बढ़ाने का संकल्प दोहराया है क्योंकि यह लगातार दूसरे सीज़न के लिए कम बना हुआ है

और पहले से ही सुझाए गए उपायों को 4 सितंबर 1985 में अधिकारियों ने हथौड़ी लेकर कार्रवाई शुरू कर दी ताकि इन क्षेत्रों में पेराई के लिए खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस को नवीनीकृत न करके चीनी मिलों के लिए आरक्षित/निर्धारित क्षेत्रों के भीतर खांडसारी और गुड़ के निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा सके। सीज़न 1985-86 में बिजली कोल्हू द्वारा गुड़ के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए पत्र के माध्यम से राज्य द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता थी।

4 सितंबर, 1985 के पत्र में दिया गया यह सुझाव कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खांडसारी/ पावर क्रशरों का पेराई कार्य देर से शुरू करने जैसे उपायों पर विचार किया जाना चाहिए, स्पष्टतः एक अपर्याप्त उपाय माना गया। हालाँकि, खांडसारी इकाइयों और पावर क्रशरों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, 1 जनवरी, 1986 तक चालू सीजन के दौरान गन्ने की खरीद और पेराई में चीनी मिलों द्वारा दिखाई गई प्रगति बहुत उल्लेखनीय प्रतीत नहीं होती है। चालू पेराई सत्र शुरू हुए दो माह का समय बीत चुका है। यह नहीं कहा जा सकता है कि खांडसारी और गुड़ हरियाणा राज्य में अधिकांश ग्रामीण और गरीब उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किए जाने वाले मिठास बढ़ाने वाले एजेंट हैं, शायद आदत के कारण या इस कारण से कि वे

चीनी की लागत वहन नहीं कर सकते हैं। उनका उपभोग अगर चालू सीजन में खांडसारी और गुड़ का उत्पादन नहीं हुआ तो निश्चित रूप से गरीब आबादी के लिए मिठास बढ़ाने वाले पदार्थों का अकाल पड़ जाएगा। यहां इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि खांड-साड़ी और गुड़ गरीब उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही आवश्यक वस्तुएं हैं जितनी दूसरों के लिए चीनी। वास्तव में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि अधिनियम में 'चीनी' की परिभाषा में खांडसारी चीनी भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह रेखांकित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्थ के तहत किसी प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए महत्वपूर्ण विचारों में से एक यह है कि यह सार्वजनिक हित में होना चाहिए और अभाव के बीच उचित संतुलन बनाकर लगाया जाना चाहिए। सही और खतरे या बुराई से बचने की कोशिश की गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने खांडसारी इकाइयों पर 1 पाउंड महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध बरकरार रखा है, लेकिन मेरे विचार में वर्ष 1985-86 के पूरे पेराई सत्र के लिए प्रतिवादियों द्वारा खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार को उचित ठहराना मुश्किल है। यहां तक कि जहां तक गन्ने की आपूर्ति का सवाल है, भारत सरकार ने राज्यों से विभिन्न मिठास बढ़ाने वाले एजेंटों के बीच

उचित संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा की है। दिए गए सुझावों में से एक था खांडसारी/ पावर क्रशरों के देर से शुरू होने वाले पेराई कार्यों पर अंकुश लगाना। निस्संदेह इन निर्देशों का पालन वर्ष 1984-85 से किया जाना चाहिए था। केवल इसलिए कि पिछले वर्ष इन निर्देशों के अनुरूप कोई उपाय नहीं किया गया था, वर्तमान पेराई सत्र के दौरान खांडसारी इकाइयों/ पावर क्रशरों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं कहा जा सकता है। जब माना जाता है कि 5 से 10 प्रतिशत गन्ने की खपत खांडसारी इकाइयों द्वारा की जाती है तो मैंने पाया कि वर्तमान पेराई सत्र की शुरुआत से अब तक इन इकाइयों के संचालन पर प्रतिबंध चीनी को गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

(31) इसलिए , मैं इन याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति देता हूं और उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ *परमादेश जारी करता हूं कि लाइसेंस*

पंत राज सचदेव *बनाम* इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य (डीवी सहगल, जे.)

याचिकाकर्ताओं, जो खांडसारी निर्माता हैं, को खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश के अनुरूप अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन जमा करने पर आज से 15 दिनों के भीतर नवीनीकरण किया

जाना चाहिए। मैं उन याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस जारी करने के संबंध में समान निर्देश जारी करता हूं जो गुड़ लाइसेंसिंग आदेश के खंड 3 के तहत गुड़ निर्माता हैं, उनके द्वारा कथित लाइसेंसिंग आदेश के अनुरूप अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन जमा करने पर आज से 15 दिनों के भीतर। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक ये 'दिशा-निर्देश लागू होंगे तब तक कुल पेराई सत्र की लगभग *2 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी होगी।*

(32) आवेदन निरर्थक होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा